

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री विनोद कुमार जोशी स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल	जनहित

श्री विनोद कुमार जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

दृष्ट-

(के०सी०पाठक)

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2653 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री विनोद कुमार जोशी स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री विनोद कुमार जोशी को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल को इस आशय से कि, श्री जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रामगोपाल स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की	जनहित

श्री रामगोपाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री रामगोपाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ड०-
(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2654 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री रामगोपाल स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रामगोपाल को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की को इस आशय से कि, श्री रामगोपाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा/हरिद्वार।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 8- गार्ड पत्रावली।

ड० अजय कुमार वर्मा
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की	जनहित

श्री मनोज कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री मनोज कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

डा०

(क०सी०पाठक)

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ **2655** /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक **10/6/25**

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री मनोज कुमार स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मनोज कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

डा०

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती कमल राना स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत	मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर	जनहित

श्रीमती कमल राना, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती राना का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।
मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

ह/
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2656 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्रीमती कमल राना स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती कमल राना को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर को इस आशय से कि, श्रीमती कमल राना की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

ह/
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री पीयूष मिश्र स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ़	मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर	जनहित

श्री पीयूष मिश्र, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री मिश्र का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

हपि-

(के०सी०पाठक)

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2657 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री पीयूष मिश्र स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ़।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री पीयूष मिश्र को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर को इस आशय से कि, श्री मिश्र की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

९

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती गीता कौर स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूद्रपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट	जनहित

श्रीमती गीता कौर, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती कौर का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/2658 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्रीमती गीता कौर स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूद्रपुर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती गीता कौर को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट को इस आशय से कि, श्रीमती कौर की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेश चन्द्र स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी	जनहित

श्री सुरेश चन्द्र, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सुरेश चन्द्र का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

हृष-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ **2659** /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक **10/6/25**
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सुरेश चन्द्र स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सुरेश चन्द्र को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी को इस आशय से कि, श्री सुरेश चन्द्र की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी
- 6- गार्ड पत्रावली।

डा० अजय कुमार वर्मा
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण	जनहित

श्री मनोज कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

हृण-

(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2660 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री मनोज कुमार स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मनोज कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 4- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 6- मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून/नैनीताल/अल्मोडा।
- 7- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 8- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 9- गार्ड पत्रावली।

९

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	डा० सत्येन्द्र सिंह नेगी स० कृ० अ०, वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा	जनहित

डा० सत्येन्द्र सिंह नेगी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। डा० नेगी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह०-
(के०सी० पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ० नि० / 2661 / स्था० अनु०-1 / वर्ग-1 / स्थानान्तरण / 2025-26 / दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- डा० सत्येन्द्र सिंह नेगी स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार डा० नेगी को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा को इस आशय से कि, डा० नेगी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड फ़ाइल।

ह०
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अनुज कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी	जनहित

श्री अनुज कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री अनुज कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

हृषी-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2662 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अनुज कुमार स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अनुज कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

अजय कुमार वर्मा
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र जोशी स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल	स्वयं के अनुरोध

श्री रमेश चन्द्र जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।



(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2663-A/स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री रमेश चन्द्र जोशी स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रमेश चन्द्र जोशी को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल को इस आशय से कि, श्री रमेश चन्द्र जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड फत्रावली।



(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अनिल कुमार मलिक स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूड़की	स्वयं के अनुरोध

श्री अनिल कुमार मलिक, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री मलिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ **2663-B** /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक **10/6/25**
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अनिल कुमार मलिक स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूड़की।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अनिल कुमार मलिक को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूड़की को इस आशय से कि, श्री मलिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री ओम प्रकाश सिंह स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	स्वयं के अनुरोध

श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

हृण-

(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2664 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री ओम प्रकाश सिंह स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री ओम प्रकाश सिंह को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

२

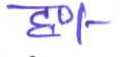
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सुक्रमपाल सिंह स०कृ०अ०,वर्ग-1 (रसायन शाखा)	सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर	सहायक निदेशक, बीज परीक्षण प्रयोगशाला निदेशालय परिसर देहरादून	जनहित

श्री सुक्रमपाल सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2665 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सुक्रमपाल सिंह स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा सहायक निदेशक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर।
- 2- सहायक निदेशक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सुक्रमपाल सिंह को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सहायक निदेशक, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, निदेशालय परिसर देहरादून को इस आशय से कि, श्री सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 7- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 8- गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री वीरेन्द्र कुमार कुरील स०कृ०अ०,वर्ग-1 (रसायन शाखा)	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला निदेशालय, परिसर देहरादून	सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर	जनहित

श्री वीरेन्द्र कुमार कुरील, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुरील का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

दृष्ट-

(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2666 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री वीरेन्द्र कुमार कुरील स.कृ.अ.वर्ग-1, कृषि निदेशालय देहरादून।
- 2- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कुरील को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करना पूर्ण करें।
- 3- सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर को इस आशय से कि, श्री कुरील की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 7- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 8- गार्ड पत्रावली।

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।